चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे ‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

‘‘मिशन शक्ति अभियान-4’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 07.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को ‘‘मिशन शक्ति’’ व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ‘‘एंटी रोमियो स्क्वायड’’ टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 07.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 07.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4)आज दिनाँक 07.04.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल द्वारा थाना बहिलपुरवा का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना परिसर की साफ सफाई कराने,मालखाना में रखे शस्त्रो को समय समय पर साफ सफाई कराने,महिला हेल्प डेस्क में आये हुए प्रार्थना पत्रों का शत-प्रतिशत समय से निस्तारण कराने,थाना कार्यालयों में रजिस्टरों का उचित रख रखाव व अध्यावधिक एवं हवालात को प्रतिदिन साफ सफाई कराने हेतु थानाध्यक्ष बरगढ़ को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती रंजना यादव पुत्री हरीप्रसाद निवासी कसहाई थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति रविशंकर पुत्र बच्चूलाल यादव निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा प्रार्थिया को गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करते हुए दहेज की मांग करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव,महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज,मारपीट,लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने,पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव

3. महिला आरक्षी मंजूलता पाल

(6).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष राजापुर व उनकी टीम द्वारा दहेज हत्या के वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया।
दिनांक 02.04.2025 को वादी शाहबे आलम निवासी अटाला जनपद प्रयागराज द्वारा थाना राजापुर पर सूचना दी गयी कि उसकी बेटी जैनब को उसके पति व अन्य ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए फांसी लगाकर मार दिया गया और शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया। इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 69/25 धारा 85, 80(2), 238B BNS व 3/4 डीपी एक्ट पर पंजीकृत कर विवेचना CO राजापुर को सुपुर्द की गयी है। वादी की सूचना के आधार पर यमुना नदी

में स्थानीय गोताखोर एवं एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार शव की तलाश की जा रही है। घटना में नामित मुख्य अभियुक्त साहिल खान पुत्र कल्लू खान निवासी ग्राम रायपुर थाना राजापुर (मृतका का पति) को दिनांक 04.04.2025 थाना राजापुर पुलिस द्वारा लूपलाइन की तरफ पक्की पटरी पर से गिरफ्तार किया गया। एवं आज दिनांक 06.04.2025 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित आरोपी रमजानी उर्फ कल्लू पुत्र इमाम खां उर्फ किसान निवासी ग्राम रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह
2.उ0नि0 कन्हैयाबक्श
3.आरक्षी लवकुश यादव
4.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

(7).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 अजय बहादुर सिंह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट मय हमराह आरक्षी दीपेश यादव,महिला आरक्षी अंशू सैनी द्वारा मु0अ0स0 314/22 धारा 138 एनआईएक्ट वारण्टी अभियुक्त रामू प्रसाद मिश्रा पुत्र लक्ष्मीनारायण मिश्रा निवासी चमरौहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
(ii).उ0नि0 सुरेश प्रताप सिंह जनपद चित्रकूट मय हमराही आरक्षी प्रेमकुमार द्वारा मु0न0 105/18,मु0अ0स0 108/18 धारा 302,201 आईपीसी के वारंटी अभियुक्त टल्लू पुत्र लुसुरुवा निवासी लोहदा थाना पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी बृजबिहारी तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 541/17 धारा 452,504 आईपीसी एवं 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त राजकुमार उर्फ भदरा पुत्र मोतीलाल केवट निवासी रंगौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 04 वर्ष के कठोर कारावास और 03 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना का विवरणः-
दिनाँक 29.12.2017 को एक वादिया थाना राजापुर में सूचना दी थी कि राजकुमार उर्फ भदरा द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ छेड़खानी किया है। सूचना के आधार पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 62/2022 धारा 541/17 धारा 452,504 आईपीसी एवं 08 पॉक्सो एक्ट बनाम राजकुमार उर्फ भदरा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार मौर्य द्वारा की गयी थी एवं दिनाँक 31.12.2017 को अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया था। दिनाँक 18.03.2018 को आरोपी के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(9).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार आरक्षी राजीव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा दिनाँक 21.07.2019 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 130/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी अभियुक्त शारदा प्रसाद पुत्र भगवत प्रसाद निवासी किशोर का पुरवा मजरा सुरवल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह एवं पैरोकार आरक्षी राजीव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा दिनाँक 21.07.2019 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 77/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के आरोपी रग्घू सोनकर पुत्र बबुआ निवासी राजापुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।